



नोट :

1. नामांकन केवल लाभार्थी मालिक के खातों को अपनी ओर से एकल या संयुक्त रूप से रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है. समाज, ट्रस्ट, कॉर्पोरेट निकाय और साझेदारी फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता, मुख्तारनामा के धारक सहित गैर-वैयक्तिक नामांकित नहीं कर सकते हैं. यदि खाता संयुक्त रूप से रखा गया है तो सभी संयुक्त धारक नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर करेंगे.
2. नाबालिग को नामांकित किया जा सकता है. ऐसे मामलों में, लाभार्थी स्वामी द्वारा नाबालिग नामिती के अभिभावक का नाम और पता प्रदान किया जाएगा.
3. नामिती ट्रस्ट, समाज, कॉर्पोरेट निकाय, साझेदारी फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार के कर्ता अथवा किसी मुख्तारनामा के धारक नहीं होंगे. समय-समय पर लागू विनिमय नियंत्रणों के अधीन कोई अनिवासी भारतीय नामिती हो सकता है.
4. लाभार्थी स्वामित्व खाते के बंद होने पर लाभार्थी स्वामित्व खाते के संबंध में नामांकन रद्द हो जाता है. इसी प्रकार, प्रतिभूतियों का हस्तांतरण होने पर प्रतिभूतियों के संबंध में भी नामांकन समाप्त हो जाएगा.
5. नामिती (यों) के पक्ष में प्रतिभूतियों का हस्तांतरण डिपॉजिटरी और कानूनी वारिसों के विरुद्ध प्रतिभागी द्वारा वैध डिस्चार्ज होगा.
6. नामांकन का निरसन केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा एकल संयुक्त रूप से स्वयं अपनी ओर से लाभार्थी स्वामित्व खातों का रखने वाले व्यक्ति को द्वारा ही किया जा सकता है जिन्होंने मूल नामांकन किया था. समाज, न्यासी, कॉर्पोरेट निकाय एवं साझेदारी फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार के कर्ता, मुख्तारनामा के धारक सहित गैर-वैयक्तिक नामांकन रद्द नहीं कर सकते हैं. यदि लाभार्थी स्वामित्व खाता संयुक्त रूप से रखा जाता है तो सभी संयुक्त धारक निरसन फॉर्म पर हस्ताक्षर करेंगे.
7. नामांकन के निरस्त हो जाने पर नामांकन रद्द हो जाएगा और डिपॉजिटरी नामिती (यों) के पक्ष में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए किसी भी दायित्व के अंतर्गत नहीं होगी.
8. किसी डीमैट खाते में तीन नामितियों तक नामांकन किया जाता है. कई नामितियों के मामले में ग्राहक को प्रत्येक नामिती के लिए हिस्से का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना अनिवार्य है जो कुल 100% तक होगा. यदि लाभार्थी स्वामी प्रत्येक नामितियों के लिए कोई आवंटन हिस्से का कोई प्रतिशत नहीं दर्शाता है तो डिफॉल्ट विकल्प सभी नामितियों के बीच दावे को समान रूप से निपटाने के लिए होगा.
9. लाभार्थी स्वामी द्वारा मौजूदा नामितियों के प्रतिस्थापन के अनुरोध पर पहले का नामांकन रद्द हो जाएगा तथा प्रतिस्थापन के समय पर फॉर्म 10 में उल्लेखित अनुसार नामितियों के विवरण पर विचार किया जाएगा अतः कृपया सभी नामांक की तो कि पूरे विवरण का उल्लेख करें.
10. पहचान के साक्ष्य की प्रति के साथ सत्यापन हेतु मूल प्रति संलग्न होनी चाहिए अथवा दस्तावेजों के सत्यापन हेतु किसी प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित की गई होनी चाहिए. (जैसा कि अनुलग्नक बी में दर्शाया गया हो)
11. बचत बैंक खाता विवरण केवल तभी मान्य होगा जब खाता उसी प्रतिभागी के पास रखा गया हो.
12. जहां डीमैट विवरण दिया जाना आवश्यक हो वहां डीपी आई डी और ग्राहक आई डी (client ID) भी दिए जाए.